खोह नागोरियान अग्निकांड प्रकरण: सील पटाखा फैक्ट्री में दोबारा उठा धुआं

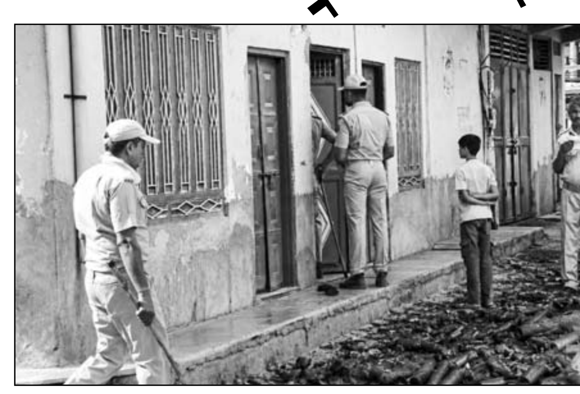

फैक्ट्री के बाहर पहले से तैनात फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।

- अवैध गोदामों पर पुलिस का शिकंजा
- 500 मकानों की तलाशी में 100 गोदाम चिह्नित, अवैध पटाखा निर्माण पर नए मुकदमे दर्ज

जयपुर(निसं)। खोह नागोरियान क्षेत्र में हाल ही में हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद शुक्रवार शाम एक बार फिर उसी सील की गई फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार करीम नगर-बी स्थित मकान नंबर 88 में संचालित इस फैक्ट्री में 8 जून को हुए भीषण अग्निकांड में आठ लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने हादसे के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया था, लेकिन शुक्रवार शाम करीब चार बजे फैक्ट्री से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं।

फैक्ट्री के बाहर पहले से तैनात फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। चूंकि फैक्ट्री सील थी और अंदर कोई मौजूद नहीं था। इसलिए इस बार कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मलबे की कूलिंग और हटाने के दौरान नीचे दबे अवशेषों में सुलगन के कारण धुआं उठा। दमकलकर्मियों ने मौके पर बचे हुए पटाखों और रसायनों पर फोम का छिड़काव कर स्थिति को नियंत्रित किया।

इस घटना के बाद एक बार फिर क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। पुलिस और दमकलकर्मियों ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को दूर रखा। इधर अग्निकांड के बाद प्रशासन और पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों एवं गोदामों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। जयपुर पुलिस ने खोह नागोरियान, करीम नगर, रहीम नगर, तलाई, आयशा नगर, उजेफा नगर और अक्ष विहार समेत आसपास के क्षेत्रों में करीब 500 मकानों की तलाशी ली। जांच के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई।

इस अभियान के दौरान करीब 100 गोदाम चिह्नित किए गए। इनमें एक रूई का गोदाम, दो प्लास्टिक गोदाम और एक मोटरसाइकिल गोदाम शामिल है। मोटरसाइकिल गोदाम में करीब 50 बुलेट बाइक मॉडिफाइड साइलेंसर और संदिग्ध नंबर प्लेटों के साथ मिलीं। संदेह के आधार पर इन गोदामों को सील कर दिया गया।नवनियुक्त खोह नागोरियान थानाधिकारी प्रकाशराम विश्नोई ने पदभार संभालते ही कार्रवाई करते हुए दाउद नगर स्थित मकान संख्या ए-46 में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से बड़ी मात्रा में पटाखे, विस्फोटक सामग्री और पटाखा निर्माण उपकरण बरामद किए गए। इस मामले में कयूम खान, याकूब खान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ नया प्रकरण दर्ज किया गया है।

एक अन्य फैक्ट्री से भी विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, जिसके संबंध में अलग मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रतिनिधिमंडल ने अग्निकांड में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर जयपुर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध पटाखा फैक्ट्री या भंडारण की आशंका है। वहां डोर-टू-डोर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद यदि किसी क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री या गोदाम मिलने की पुष्टि होती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि अग्निकांड में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री की जांच कराई जा रही है और दो-तीन दिन में रिपोर्ट मिलने की संभावना है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खोह नागोरियान हादसे के बाद उठे कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं, जिनमें पुराने और एक्सपायरी पटाखों के निस्तारण की व्यवस्था, लाइसेंसी गोदामों की निगरानी, अवैध फैक्ट्रियों पर नियंत्रण और विस्फोटक विभाग की जांच प्रणाली की प्रभावशीलता प्रमुख हैं।

प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक अभियान जारी रहेगा।

1 लाख के इनामी तस्कर के नेटवर्क से जुड़े सहयोगी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी।

जयपुर(निसं)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) जयपुर और बाड़मेर जिले की सेडवा थाना पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 91.240 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। इस दौरान तस्करी नेटवर्क से जुड़े जयकिशन विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ के तार राज्य स्तर के एक लाख रुपए के इनामी और वांछित तस्कर सांवरा उर्फ श्यामसुन्दर के सिंडिकेट से जुड़े हैं। यह कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एजीटीएफ) दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल वर्मा और पुलिस उपाधीक्षक फूलचंद टेलर के सुपरविजन में संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एजीटीएफ) दिनेश एमएन के अनुसार गुरुवार रात सेडवा थानाधिकारी प्रभुराम गश्त पर थे। इसी दौरान एजीटीएफ के कांस्टेबल सुमेर सिंह से सूचना मिली कि राज्य स्तरीय इनामी आरोपी सांवरा की तलाश में आई टीम को जानकारी मिली है कि उसके पड़ोसी जयकिशन के घर भारी मात्रा में डोडा पोस्त छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सोमारडी गांव स्थित जयकिशन के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान स्टोर रूम में इसबगोल और जीरे के कट्टों के बीच छिपाकर रखे गए काले रंग के तीन प्लास्टिक कट्टों से 91.240 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जयकिशन (45) को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में जयकिशन ने बताया कि यह खेप उसके पड़ोसी तेजाराम पुत्र भागीरथराम विश्नोई ने 10 जून की रात उसके घर रखवाई थी। पुलिस के अनुसार तेजाराम और मुख्य आरोपी सांवरा उर्फ श्यामसुन्दर के बीच सीधे संबंध हैं तथा पूरा मामला एक संगठित तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस मामले की गंभीरता और हाई-प्रोफाइल कनेक्शन को देखते हुए आगे की जांच धनाऊ थानाधिकारी दीपसिंह को सौंपी गई है। पुलिस टीमें मुख्य आरोपी सांवरा और उसके सहयोगी तेजाराम की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

इस कार्रवाई में एजीटीएफ की ओर से एएसआई राकेश कुमार जाखड़ के नेतृत्व में टीम ने भूमिका निभाई, जबकि जिला स्पेशल टीम बाड़मेर के उप निरीक्षक आदेश कुमार भी टीम के साथ शामिल रहे। संयुक्त अभियान में सेडवा थानाधिकारी प्रभुराम, हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल दिनेश कुमार, गंगाराम, मोहनलाल, भोजाराम और चालक कांस्टेबल चैनराम ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वीडीओ के निलंबन पर अधिकरण ने लगाई रोक

जयपुर,(निसं)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने टोंक ज़िले के डांगरथल के ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन पर रोक लगाकर प्रमुख पंचायती राज सचिव, टोंक कलेक्टर, टोंक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिति निवाई के विकास अधिकारी से जवाब देने के लिए कहा है। अधिकरण की न्यायिक सदस्य पूनम दरगन व सदस्य प्रकाश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश अपीलार्थी राजयंती बैरवा की अपील पर दिया। अपील में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त पंचायतीराज विभाग के आदेश की पालना मे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की वरीयता सूची में से पात्र व्यक्तियों के नाम पृथक करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपीलार्थी का निलंबन कर दिया। वहीं उसका मुख्यालय टोंक जिला परिषद में कर दिया। इसे अधिकरण में चुनौती देते हुए कहा कि जिला परिषद की स्थाई स्थापना समिति ही पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 298 के तहत उसे निलंबित कर सकती हैं, क्योंकि उसकी नियुक्ति जिला परिषद ने की है। ऐसे मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आदेश अवैध व गैरकानूनी है।

पति की हत्या की आरोपी पत्नी सहित तीन दोषमुक्त

जयपुर, (निसं)। जयपुर जिले के सेशन न्यायालय ने गलता थाना गेट इलाके में जनवरी 2018 में हुए एक व्यक्ति तेजप्रकाश शर्मा की हत्या के मामले में अपराध साबित नहीं होने पर आरोपी पत्नी सीमा व साले श्रीकान्त निर्मोही उर्फ छोटा सहित अन्य आरोपी किराएदार अभिषेक शर्मा को संदेह का लाभ में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी की घोर लापरवाही, विरोधाभासी कागजी कार्रवाई और साक्ष्यों के अभाव के चलते आरोपियों के खिलाफ संदेह से परे अपराध साबित नहीं हो सका है।

डीजे माधवी दिनकर ने फैसले में कहा कि मृतक के भाई हरीश शर्मा ने कंकाल देखने के बाद उसके भाई का होने से मना कर दिया और कहा कि वह अपने भाई के कपड़ों को भी नहीं पहचानता। वह आज भी नहीं मानता की उसके भाई की हत्या की है। वहीं मामले की कड़ियां आपस में पूरी तरह से नहीं जुड़ रही हैं। न्यायालय ने जांच अधिकारी और पुलिस टीम की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की थ्योरी में समय और दूरी का जो गणित पेश किया गया है वह पूरी तरह से काल्पनिक और असंभव प्रतीत होता है। कोर्ट ने माना कि परिस्थितियों पर आधारित मामले में केवल संदेह या आधे-अधूरे विरोधाभासी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में आरोपियों को संदेहलाभ में दोषमुक्त करना उचित होगा।मामले के अनुसार हरीश कुमार शर्मा ने गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका 40 साल का छोटा भाई 14 जनवरी 2018 को घर से कटिंग करवाने की बात कहकर निकला था।

सार-समाचार

जेडीए ने अतिक्रमण हटाए

जयपुर(निसं) । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार सड़क सीमाओं में आ रहे अतिक्रमणों ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रवर्तन दस्ते द्वारा यातायात पुलिस व नगर निगम के साथ सामूहिक अभियान के तहत गोपालपुरा बाइपास से गुर्जर की थड़ी, त्रिवेणी चौराहा तक 03 किमी एरिया तक रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। गैर अनुमोदित योजना गंगाराम नगर में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सांगानेर, चित्रकूट कॉलोनी में रोड सीमा को एवं ग्राम रामचन्द्रपुरा सांगानेर में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, शिव निकुंज कॉलोनी व राम लक्ष्मण वाटिका कॉलोनी में रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

15 जून को शहीद स्मारक पर होगा युवाओं का महाप्रदर्शन

जयपुर(निसं)। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आगामी 15 जून, सोमवार को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर दोपहर 3 बजे से विशाल एवं शांतिपूर्ण जनप्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से छात्र, अभिभावक, बेरोजगार युवा, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रदेश एवं देश की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरणों, बढ़ती बेरोजगारी तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर जनजागरण और जनदबाव बनाना है। शुक्रवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता सम्मेलन को राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका, प्रोटेस्ट इंचार्ज दीपक बालियान, मीडिया इंचार्ज अभिषेक जैन बिट्टू और दलित एक्टिविस्ट रोशन मुड़िया आदि ने संबोधित किया।

साइबर फ्रॉड में बैंक खाते बेचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर (निसं)। जयपुर ग्रामीण के सामोद थाना पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ बडी कार्रवाई करते हुए बैंक खाते उपलब्ध करवाकर साइबर ठगी में सहयोग करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के बैंक खातों से जुडे साइबर फ्रॉड के मामले उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित कई राज्यों में दर्ज पाए गए हैं। सामोद थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साइबर ठगों को अपने बैंक खाते बेचकर अथवा उपलब्ध कराकर धोखाधडी की वारदातों में सहयोग करते थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों के बैंक खातों में साइबर ठगी से संबंधित राशि जमा हुई थी। इनमें अलग-अलग खातों में 77,570 रुपए और 25,549 रुपए की संदिग्ध राशि जमा होना पाया गया। पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों के बैंक खातों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड से संबंधित शिकायतें दर्ज हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर आरोपियों के विरुद्ध कुल छह शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। पुलिस ने इस मामले में अनिल मीणा (29) पुत्र सुरेश मीणा निवासी मोरीजा, कृष्ण मीणा (21) पुत्र हरिनारायण मीणा निवासी मोरीजा तथा केशव सैनी (23) पुत्र महादेव सैनी निवासी भोजलावा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हेमराज सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि साइबर ठगी के गिरोह से इनके संबंध कितने व्यापक हैं और किन-किन लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराए गए।

शातिर हिस्ट्रीशीटर पुलिस के हत्थे चढ़ा

जयपुर (निसं)। चाकसू थाना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात करते हुए डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित शातिर बदमाश और हिस्ट्रीशीटर रमेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2012 से अब तक चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के करीब 17 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि चाकसू थाना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात करते रमेश चौधरी (39) निवासी चाकसू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रमेश चौधरी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ चाकसू, सांगानेर सदर, शिवदासपुरा, प्रताप नगर, टोंक जिले के निवाई थाना सहित विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के 17 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है। पुलिस आरोपी से चोरी किए गए माल की बरामदगी तथा अन्य वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। चोरी की वारदात का त्वरित खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी मनोहर लाल के साथ हेड कांस्टेबल सोराज, कांस्टेबल बाबूलाल, जगदीश, कमलेश और आशाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कथनी और करनी के फेर में संगठन महामंत्री की नई परिपाटी

जयपुर (निसं)। भाजपा के नवनियुक्त संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने पद संभालते ही अपनी पहली ही स्पीच में कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि वे स्वागत-सत्कार और प्रचार से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया पर अपने फोटो-वीडियो नहीं डालेंगे और मीडिया से भी दूरी बनाए रखेंगे। उन्होंने याद दिलाया था कि संगठन महामंत्री संघ का वह दूत होता है, जिसका मूल काम परदे के पीछे रहकर संघ और संगठन के बीच समन्वय बनाना तथा अनसुने कार्यकर्ताओं की सुनवाई करना है। लेकिन पार्टी कार्यालय के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अजेय कुमार ने महज एक सप्ताह के भीतर ही अपनी इस नसीहत को धत्ता बता दिया है। उनके दावों के विपरीत, केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकातों से लेकर जयपुर शहर कार्यालय और किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तैर रहे हैं। जगह-जगह आज भी उनके स्वागत के दौर चल रहे हैं। भाजपा की स्थापित परंपराओं को जानने वाले कार्यकर्ता इस बदलाव पर उंगली उठा रहे हैं। पार्टी में अब तक की रीत यही रही है ।

राजस्थान में किसानों को मिल रहा गेहूं का सर्वाधिक मूल्य

एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ाई

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी राहत
- 28.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की होगी खरीद, अब तक 3 लाख किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा

जयपुर,(निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। ऐसे सभी पंजीकृत किसान, जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया था, अब 19 जून तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार संवेदनशील निर्णय ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश में गेहूं खरीद लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन किया गया है। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसके साथ ही किसानों को 2 हजार 585 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 2 हजार 735 रुपये का कुल भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्णय के फलस्वरूप राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां किसानों को गेहूं का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। अब खरीद अवधि बढ़ाने से किसानों को अपनी उपज उचित मूल्य पर बेचने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

राज्य सरकार ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप खरीद कार्य संचालित हो तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उपार्जित गेहूं के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

निगम ने 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया

जयपुर(निसं)। नगर निगम जयपुर द्वारा अग्निसुरक्षा संबंधी मानकों एवं आमजन की सुरक्षा के साथ खिलवाड करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार कारवाई की जा रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा शुक्रवार को टोंक रोड पर स्थित तीन संस्थानों को फायर एनओसी नहीं लेने पर 180 दिनों के लिए सीज कर दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल ने बताया कि प्रतिष्ठान को पूर्व में अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ति कर आवश्यक अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक अनुपालना नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रतिष्ठान में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव है, जिससे वहां आने वाले नागरिकों, कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। जनहित, मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नगर निगम ने संस्थान को तत्काल प्रभाव से 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज कर दिया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: मुहाना मंडी में 3640 किलो सरसों तेल सीज

खाद्य सुरक्षा टीम ने मुहाना मंडी स्थित मैसर्स कमल एंड कंपनी का निरीक्षण किया।

जयपुर (निसं)। राज्य सरकार के 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को मुहाना मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3640 किलो सरसों तेल सीज किया। कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर द्वितीय) डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम ने मुहाना मंडी स्थित मैसर्स कमल एंड कंपनी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा सप्लाई किए गए टैगोर ब्रांड एवं विधि ब्रांड सरसों तेल के रंग और खुशबू में संदिग्धता नजर आने पर मिलावट की आशंका हुई। इसके बाद तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने तक करीब 3640 किलो सरसों तेल को सीज कर फर्म के प्रोपराइटर को उक्त स्टॉक की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान टैगोर ब्रांड के 90 टीन, 5 लीटर क्षमता के 80 प्लास्टिक जार, 2 लीटर के 240 जार, 1 लीटर के 600 जार तथा आधा लीटर क्षमता के 480 जार सीज किए गए। वहीं विधि ब्रांड के 22 टीन, 1 लीटर के 120 प्लास्टिक जार और आधा लीटर क्षमता के 240 जार भी जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों ब्रांड का सरसों तेल जयपुर के आकेड़ा डूंगर, लक्ष्मीनारायणपुरा और वीकेआई औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग में तैयार किया गया था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार टैगोर ब्रांड सरसों तेल के नमूने पूर्व में भी मिलावटी पाए जा चुके हैं।

कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर शामिल रहे। विभाग ने कहा कि प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

श्रीरामपुरा हत्याकांड का खुलासा: पांच आरोपी गिरफ्तार

- पुरानी रंजिश के चलते लोहे के पाइप से हमला कर उतारा था मौत के घाट

जयपुर(निसं)। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश और गांव में हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने युवक पर लोहे के पाइपों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि मृतक चेतराम गुर्जर गत 1 मई को एक शादी समारोह में शामिल होने सचिवालय नगर (सांगानेर सदर) आया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण चेतराम की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सांगानेर सदर थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिरों से मिली सूचनाओं तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों की पहचान की। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में मुख्य साजिशकर्ता एवं 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश कौशल नागर उर्फ कौशल सुपारी उर्फ धाकड सरकार (26) निवासी नैनवा, बूंदी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा देवांश शर्मा और विशाल मदेरणा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार विशाल मदेरणा ने आरोपियों को फरारी काटने और हमले में सहयोग किया था। मामले में संलिप्त अन्य दो सह-आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और आपसी विवाद सामने आया है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि वारदात में प्रयुक्त हथियारों तथा घटना के अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस शनिवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुख्य आरोपी कौशल नागर उर्फ कौशल सुपारी उर्फ धाकड सरकार पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की याचिक खारिज

जयपुर (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी को एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में बताया कि एसीबी ने मामले में गत 7 मई को उसके पिता महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उसके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप में उसके परिजनों को दी जाएगी।

याचिका में कहा गया कि एसीबी की ओर से लिखित में परिजनों को यह जानकारी नहीं देने से यह गिरफ्तारी ही अवैध हो गई है। ऐसे में उन्हें दिया गया पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई दूषित हो गई हैं। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए।जिसका विरोध करते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि समान आधार पर निचली अदालत ने महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। महेश जोशी को हिरासत में लेते समय उसके परिजन मौके पर मौजूद थे। वहीं बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के दौरान उनके परिजनों को सूचित किया गया था। इसके बाद जब उन्हें अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया तो एसीबी मुख्यालय से रवाना होते समय और कोर्ट पहुंचने के बाद फोन के जरिए याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी गई थी। एसीबी की ओर से कहा गया कि मुख्यालय की ओर से जारी हुकमनामा में गिरफ्तारी के आधार थे।

ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने गत 7 मई की सुबह महेश जोशी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें कुछ दिन पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए बाद में न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया था। इससे पूर्व उन्हें इसी मामले में ईडी की ओर से भी गिरफ्तार किया गया था। तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

भाजपा नेताओं की जुबान पर हमेशा रहती है महिला-विरोधी सोच : टीकाराम जूली

- जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या सिस्टम द्वारा की गई हत्या, कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हाइरिंग रूल्स को लागू नहीं कर रही भाजपा

जयपुर । नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा प्रसूताओं को लेकर की गई स्तरहीन बयानबाजी की कड़े शब्दों में निंदा की है। जूली ने कहा कि चिकित्सा मंत्री का यह कहना कि प्रसूताएं चलती आई हैं नाचते, न केवल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है बल्कि मातृत्व शक्ति का घोर अपमान भी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि प्रसूताओं को इस वक्त नाचने-गाने के तंज की नहीं, बल्कि अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जरूरत है। आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर हो चुकी है, जहाँ प्रसूताओं को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहे हैं। चिकित्सा मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। उन्हें तुरंत अपने इस बयान पर प्रदेश की जनता और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक और अमर्यादित बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है, यह इनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। अभी कुछ ही महीने पहले इन्हीं की पार्टी के विधायक श्री बहादुर सिंह कोली ने बजट पर लिंगभेद संबंधी बेहद घटिया टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के बजट में छोरा पैदा हुआ है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय छोरी पैदा हुई थी। बजट जैसे गंभीर विषय को भी इस तरह के लिंगभेद से जोड़ना भाजपा की पिछड़ी सोच का प्रमाण है। इसके अलावा, पिछले साल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो सारी मर्यादाएं लांघते हुए एक महिला नेता को एक्सपोर्ट क्वालिटी तक कह दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में उनका चौतरफा विरोध हुआ था। भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर विधायकों तक की यह भाषा बताती है कि इनके दिल में आधी आबादी के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने जयपुर के महिला चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की आत्महत्या पर गहरा दु:ख जताते हुए भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "यह समाचार अत्यंत दु:खद, पीड़ादायक एवं झकझोर देने वाला है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने संविदाकर्मियों को संबल देने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हाइरिंग रूल्स बनाए थे, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने वाले संविदा नर्सिंगकर्मियों को बेरोजगार करने के बाद सरकार अब उनकी पीड़ा सुनने को भी तैयार नहीं है। अपनी नौकरी बचाने के लिए धरने पर बैठे नर्सिंगकर्मियों में से एक युवा साथी का आत्महत्या कर लेना भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और हठधर्मिता का दु:खद परिणाम है।" जूली ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, "मुख्यमंत्री , यह केवल एक आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है।"